राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(3)पोषा/गु.नि./ICDS/2011/ 116207-38 जयपुर, दिनांक: 31/12/15

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः–पूरक पोषाहार की मांग,आपूर्ति, भण्डारण एवं वितरण के संबंध में।

विभाग द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पंजीकृत आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को आर.टी.ई. पूरक पोषाहार एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गरम पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभान्वितों की उक्त श्रेणी अत्यन्त सवेदनशील श्रेणी है।

लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार की मांग, आपूर्ति, भण्डारण, परिवहन, वितरण तथा खाद्य सुरक्षा के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक–55654–686 दिनांक–01.06.2011, 54518–51 दिनांक–06.07.2012, 45364–397 दिनांक–31.05.2013, 113339–371 दिनांक 26.07.13 एवं 6428–6460 दिनांक 20.01.2014 द्वारा पूर्व में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। पूर्व में जारी निर्देशों की निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है किः–

1. आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि पहले प्राप्त पोषाहार का लाभान्वितों को वितरण पहले एवं बाद में प्राप्त पोषाहार का वितरण इसके पश्चात किया जावें। स्वयं सहायता समूहों को आगामी सप्ताह के लिए पोषाहार की मांग प्रेषित करते समय आंगनबाडी केन्द्र पर पहले से उपलब्ध पोषाहार की मात्रा को ध्यान में रखते हुए ही आगामी मांग प्रेषित की जावें। किसी भी स्थिति में पोषाहार अवधिपार नहीं हों।
2. किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियों में पोषाहार के खराब/अवधिपार होने की स्थिति में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही पोषाहार का निस्तारण किया जावें।
3. स्वयं सहायता समूहों से पोषाहार प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि पोषाहार के पैकिंट पर स्वयं सहायता समूह का नाम, पता, पोषाहार में प्रयुक्त खाद्य सामग्री एवं उसकी मात्रा का विवरण एवं उत्पादन तिथि इत्यादि आवश्यक रूप से अंकित की गई है।
4. यह सुनिश्चित करने का दायित्व आंगनबाडी कार्यकर्ता का होगा कि पूरक पोषाहार शुद्व एवं गुणवत्तापूर्ण हो तथा क्रय की गई स्थानीय सामग्री जैसेः– गेहूं, चावल, दाल, गुड/चीनी एवं तेल आदि अच्छी क्वालिटी के हो।
5. खाद्यान्न के परिवहन एवं भण्डारण के लिए अच्छी क्वालिटी के कट्टों का उपयोग किया जावे, यह सदैव ध्यान रखा जावे कि खाद अथवा कीटनाशक के कट्टों में खाद्यान्न सामग्री न तो डाली जावे और न ही उसमें भण्डारण अथवा परिवहन किया जावे।

6. पूरक पोषाहार सामग्री तैयार करने वाली महिला/महिलाओं को साफ सफाई के बारे में भी प्रशिक्षित किया जावे। पूरक पोषाहार बनाने वाली महिलाओं को यह जानकारी दी जावे कि पोषाहार बनाते समय उनके कपडे धुले हुए हो, हाथ धुले हो तथा नाखुन बढे हुए ना हो।
7. भोजन पकाने में प्रयोग किया जाने वाला पानी भी स्वच्छ पेयजल स्त्रोत से प्राप्त किया जाना चाहिए।
8. भोजन पकाने के एवं खाने के बर्तन अच्छी तरह से साफ किये जावें तथा साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जावे।
9. लाभान्वितों हेतु पोषाहार पकाते समय एवं वितरण करते समय बर्तनों को ढक कर रखें, जिससे कोई भी जीव–जन्तु पोषाहार में न गिर पाये।
10. आंगनबाडी केन्द्र के पास किसी प्रकार की गन्दगी अथवा गन्दा पानी एकत्रित ना हो, जिससे कि भोजन के प्रदुषित होने की सम्भावना उत्पन्न हो सके।
11. लाभान्वितों को गरम पूरक पोषाहार का वितरण करने से पूर्व आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा स्वयं उसे चखा जावें एवं पोषाहार उचित गुणवत्ता का होने पर ही लाभान्वितों को वितरित किया जावें।
12. स्वयं सहायता समूह द्वारा जिस स्थान पर गरम पूरक पोषाहार तैयार किया जा रहा है, उसका समय समय पर महिला पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण भी किया जावें।

महिला पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे समय–समय पर आंगनबाडी केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभान्वितों को अच्छी गुणवत्ता का पूरक पोषाहार निर्धारित योजना के अनुरूप उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(राकेश श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(3)पोषा/गु.नि./ICDS/2011/ 116239-600 जयपुर, दिनांक: 31/12/15

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि जिला/परियोजना कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(एम.पी.स्वामी)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर